

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 95 /उ०शि०नि०मं०क०/2026-27.

दिनांक:- 22/06/2026

वाद योजित तिथि -06.01.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-19.06.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-19.06.2026

परिवाद संख्या:- 61/2025-26

श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड, ऊखीमठ.....परिवादी।

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री के०एन०मिश्रा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रुद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

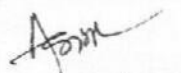
श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

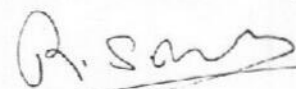
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड, वि०वि०खण्ड रुद्रप्रयाग ने दिनांक 06.01.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी का 5 किलोवाट का संयोजन है, विभाग द्वारा प्रार्थी के अक्टूबर माह 2025 के विद्युत बिल में 15 किलोवाट की असामान्य अधिकतम मांग दिखाई गई है, और विद्युत बिल में ₹2200 का अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2


सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

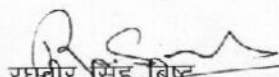
पत्रांक:- 95 /उ०शि०नि०म०कर्ण० /2026-27.

दिनांक:- 22/06/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित हुए। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को अगली सुनवाई तिथि पर उपभोक्ता की MRI रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया।
3. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री के०एन०मिश्रा उपखण्ड अधिकारी राजस्व वि०वि० उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को अगली सुनवाई तिथि पर परिवादी के परिवाद का जवाबदावा एवं MRI रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी राजस्व वि०वि० उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को अगली सुनवाई तिथि पर परिवादी के परिवाद की MRI रिपोर्ट एवं वर्तमान विद्युत बिल प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026 एवं दिनांक 17.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा मंच में अपने कार्यालय पत्रांक 1159/वि०वि०ख०रू०/दिनांक 16/06/2026 द्वारा परिवाद का जवाबदावा प्रेषित किया गया एवं परिवादी द्वारा मंच में दिनांक 10.06.2026 को पत्र के माध्यम से परिवाद के निस्तारण की याचना की गई।
6. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। पक्षकारों में आपसी सहमति होने पर पक्षकारों द्वारा परिवाद के निस्तारण की याचना की गई।

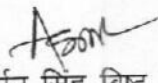
आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद पक्षकारों की आपसी लिखित सहमति होने पर परिवाद को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 94 /उ०शि०नि०म०क०र्ण० /2026-27,

दिनांक:- 22/06/2026

वाद योजित तिथि -08.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-19.06.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 19.06.2026

परिवाद संख्या:- 35 /2025-26

श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड, धोलतीर.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री के०एन०मिश्रा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड, वि०वि०खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 03.09.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, विभाग द्वारा प्रार्थी के अक्टूबर माह 2025 के विद्युत बिल असामान्य मांग दर्ज की गई है, और विद्युत बिल में रू० 16494.11 का कम पॉवर फैक्टर का अधिभार लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Assn

उपभोक्ता-उपभोक्ता
उत्तराखण्ड शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग

Assn

उत्तराखण्ड शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

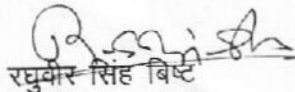
पत्रांक:- 94 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 /2026-27.

दिनांक:- 22/06 /2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित हुए। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को अगली सुनवाई तिथि पर उपभोक्ता की MRI रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री के0एन0मिश्रा उपखण्ड अधिकारी राजस्व वि0वि0 उपखण्ड रुद्रप्रयाग उपस्थित हुए। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को अगली सुनवाई तिथि पर परिवादी के परिवाद का जवाबदावा एवं विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी राजस्व वि0वि0 उपखण्ड रुद्रप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान कर संशोधित बिल परिवादी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026 एवं दिनांक 17.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। परिवादी द्वारा मंच में दिनांक 10.06.2026 को पत्र के माध्यम से परिवाद के निस्तारण की याचना की गई।
7. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। पक्षकारों में आपसी सहमति होने पर पक्षकारों द्वारा परिवाद के निस्तारण की याचना की गई।

आदेश

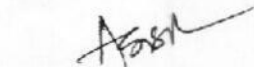
मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद पक्षकारों की आपसी लिखित सहमति होने पर परिवाद को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट

(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL